न्यायालय: अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ, बिरौल, दरभंगा।

जिला:- दरभंगा,बिहार।

K. Asthan P.S. Case No:- 102/2021

G.R. No:- 343/2021

04.09.2021 Virtual Court:

अभिलेख संज्ञान के विन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। देखा। सम्पूर्ण काण्ड दैनिकी का परिशीलन किया एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना।

अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामला सूचक धनेश्वर साहू पे० स्व० हरि साहू के लिखित आवेदन के आधार पर कुशेश्वरस्थान थाना कांड संख्या- 102/2021 दिनांक 20.05.2021 भा०दं०वि०की धारा 341,323,324,379,504,506/34 के अंतर्गत अभियुक्त 1. माधव खां, 2. गणेश खां दोनों पे० हीरा खां, 3. जयराम खां पे० झवरी खां, 4. गोपाल खां पे० तिरपित खां एवं 5. हीरा खां पे०स्व० गोपाल खां के विरुद्ध प्राथमिकी दर्जकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा अनुसंधानोपरांत सभी प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को भा०दं०वि० की धारा 341,323,504,506/34 के अंतर्गत आरोपित करते हुये आरोप -पत्र संख्या- 148/2021 दिनांक 23.06.2021 काण्ड दैनिकी के साथ न्यायालय में समर्पित किया है तथा सभी आरोपित अभियुक्तों का नाम आरोप-पत्र के कालम 11(i) में दर्ज किया गया है।

प्राथमिकी, आरोप-पत्र, जख्म प्रतिवेदन एवं कांड दैनिकी के कंडिका 4,6,7,12, 15,23 के आधार पर आरोप-पत्र के कालम 11(i) में वर्णित प्राथमिकी नामजद अभियुक्त 1. माधव खां, 2. गणेश खां दोनों पे० हीरा खां, 3. जयराम खां पे० झवरी खां, 4. गोपाल खां पे० तिरपित खां एवं 5. हीरा खां पे० स्व० गोपाल खां के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 341, 323,325,504,506/34 के अंतर्गत अपराध का प्रथमदृष्टया मामला बनता हुआ पाया जाता है, तदनुसार प्राथमिकी अभियुक्त 1. माधव खां, 2. गणेश खां, 3. जयराम खां, 4. गोपाल खां एवं 5. हीरा खां के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 341,323,325,504, 506/34 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है तथा अभिलेख निजी विचारण पंजिका में दर्ज किया जाता है। कार्यालय अभियुक्तों की उपस्थिति के लिये उनके विरुद्ध समन निर्गत करें

अभिलेख दिनांक 17.01.2022 को अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु नियत।

टंकित/लेखापित

04-09-2021

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ,

बिरौल, दरभंगा।